



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2688]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938

No. 2688]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

**का.आ. 3451(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में सारा संख्या 3 के 12.600 कि.मी. से 84.700 कि.मी. (इंदौर—खालघाट सेक्शन) तक विद्यमान दो लेन की सड़क को चार लेन की सड़क में विकसित करने, उसके प्रचालन और अनुरक्षण हेतु शुल्क का संग्रहण करने के लिए अधिसूचना का.आ. 2070 (अ), दिनांक 07.08.2009 और संशोधन अधिसूचनाओं का.आ. 2180 (अ), दिनांक 22.06.2016 और का.आ संख्या 3098 (क), दिनांक 30.09.2016 के अधीन मैसर्स ओरिएंटल पाथवेज् (इंदौर) प्रा.लि., को प्राधिकृत किया था ।

अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 एवं 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 2070 (क), दिनांक 07.08.2009 और संशोधन शुल्क अधिसूचना का.आ. संख्या 3098 क, दिनांक 30.09.2016 और का.आ. 2180 (क), दिनांक 22.06.2016 के द्वारा प्रकाशित संशोधन अधिसूचना के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

टिप्पणियों के पैरा 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

“2. शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के हेतु शोध्य एवं संदेय होगा ।

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लंबाई (कि.मी.) में जिसके लिए शुल्क संदेय है	खण्ड का डिजाइन चैनेज*
इंदौर जिले में सोनवाय गाँव के निकट 4.000 कि.मी. पर (विद्यमान 16.600 कि.मी.)	27.062	0.000 कि.मी. से 27.062 कि.मी. तक
धार जिले में खालघाट गाँव के निकट 75.700 कि.मी. पर (विद्यमान 82.800 कि.मी.)	50.258	27.062 कि.मी. से 77.320 कि.मी. तक
कुल	77.320	

\*विद्यमान चैनेज के अनुसार परियोजना का खण्ड 12.600 कि.मी. से 84.700 कि.मी. तक है।”

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/480/09-10/सीओ/जीसी-इंदौर (इंदौर-खालघाट)/बीओटी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2016

**S.O. 3451(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 & 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, vide notification S.O. 2070(E) dated 07.08.2009 and amendment notifications S.O. 2180(E) dated 22.06.2016 & S.O. No. 3098 (E) dated 30.09.2016, authorized M/s Oriental Pathways (Indore) Private Ltd. to collect and retain the fee for the development, operation and maintenance of the existing two lane road into four lane road from Km 12.600 to Km. 84.700 (Indore - Khalghat section) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh;

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 & 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 2070(E) dated 07.08.2009 & amendment fee notification S.O. No. 3098 (E) dated 30.09.2016 and in supersession of the amendment notification published vide S.O. 2180(E) dated 22.06.2016 except as respect things done or omitted to be done before such supersession:-

Para 2 of the Notes may be substituted as follows:

“2. The fee shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Design Chainage of the section*
At km 4.000 (existing km 16.600) near Village Sonvay in District Indore	27.062	Km 0.000 to km 27.062
At km 75.700 (existing km 82.800) near Village Khalghat in District Dhar	50.258	Km 27.062 to km 77.320
Total	77.320	

\*As per existing chainage, the project stretch is from km 12.600 to km 84.700. ”

[F. No. NHAI/13013/480/09-10/CO/GC-Indore (Indore-Khalghat) BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.